राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांकः प.4(9)वित्त/आबकारी/2001–पार्ट दिनांकः 19 अप्रेल, 2017

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला धौलपुर में राजाखेड़ा नगरपालिका के वार्ड सं0 17 के उप–चुनाव की तिथि में संशोधन हेतु पत्र क्रमांकः एफ.7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2016/1160 दिनांक 18.04.2017 (प्रति संलग्न) जारी किये जाने के कारण इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.03.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए धौलपुर जिले में नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड सं0 17 के निर्वाचन क्षेत्र एवं उससे लगते हुए 5 किमी परिधीय क्षेत्र में **दिनांक 21.04.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 23.04.2017 को सायं 5.00 बजे तक तथा मतगणना दिनांक 25.04.2017 को मतणना समाप्ति तक सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांकः एफ.7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2016/1160 दिनांक 18.04.2017 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्यनिषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, धौलपुर।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, भरतपुर।
10. जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2016/1160 दिनांकः 18/4/17

वित्त (आबकारी) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
आयरी क्रमांक 2285
दिनांक 19 APR 2017

प्रमुख शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः—नगरपालिका उप चुनाव मार्च, 2017 – जिला धौलपुर हेतु उपचुनाव की नवीन तिथियों के संबंध में।

संदर्भः— आयोग का पत्रांक 623/03.03.2017

पृष्ठ 141/सी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्र्तगत संदर्भित पत्र के माध्यम से नगरपालिका उप चुनाव माह मार्च, 2017 हेतु चुनाव कार्यक्रम प्रेषित किया गया था। धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र–79 के उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा धौलपुर जिले में नगरपालिका राजाखेडा के वार्ड संख्या–17 हेतु उपचुनाव/मतगणना हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों में संशोधन किया गया था। नवीन कार्यक्रम के अनुसार उक्त पदों के लिए मतदान दिनांक 23.04.2017 एवं मतगणना दिनांक 25.04.2017 को होगी।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि धौलपुर जिले में मतदान दिवस पर मतदान की समाप्ति पर समाप्त होने वाली 48 घन्टे की कालावधि में अर्थात दिनांक 21.04.2017 को सांय 5.00 बजे से दिनांक 23.04.2017 को सायं 5.00 बजे तक की अवधि में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र एवं उससे लगते हुए 5 कि. मी. परिधीय क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित करवाने की व्यवस्था करवायें। यह भी अनुरोध है कि दिनांक 25 अप्रैल 2017 मतगणना दिवस के दिन मतगणना समाप्ति तक उक्तानुसार सूखा दिवस घोषित करावें।

SSF (Excise) Urgent

भवदीय

(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2016/1161 दिनांकः 18/4/17

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), धौलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उपसचिव

4058
1914

1996
19 APR 2017

C:\Users\Sanjay-Panchayat\Desktop\F4(1)(3) NP SEC 2016_bye-election December,2016.doc
8